



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone-011 23232373, E-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

No. X-15015/1/2013-P&D

Dated: 10.01.2023

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : क रा बी नि 2.0 / विज़न-2022 के अंतर्गत राज्य-वार अधिसूचित / गैर-अधिसूचित जिलों की अद्यतन सूची (दिनांक 01.01.2023 की स्थिति) / State wise updated list of notified/non-notified districts under ESIC 2.0 / Vision-2022 (As on 01.01.2023).

मुख्यालय की वेबसाइट लिंक सं. 11244/2022 पर अपलोड किए गए पूर्व परिपत्र दिनांक 07.10.2022 के अनुक्रम में अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है / In continuation to the previous Circular of even no. dated 07.10.2022 uploaded on ESIC website www.esic.nic.in Console link no. 11244/2022, the present status of notified districts of ESI Scheme is as under:-

क. राज्य-वार अधिसूचित जिलों की स्थिति (दिनांक 01.01.2023 तक) / State wise status of notified districts as on 01.01.2023 is as under:-

i	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां संपूर्ण क्षेत्र अधिसूचित है / No. of States/UT's whose entire area is notified	15
ii	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां आंशिक क्षेत्र अधिसूचित है / No. of States/UT's where the Scheme is partially notified	20
iii	गैर-कार्यान्वित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश / Non-Implemented State/UT's	1

अधिसूचित / गैर-अधिसूचित जिलों की जिलेवार अद्यतन सूची अनुलग्नक-A पर संलग्न है। / The consolidated status of district wise notification is enclosed as Annexure-A.

ख. अधिसूचित जिलों की सूची इस प्रकार है / The Summary of Notified Districts is as under :-

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	467
आंशिक रूप से अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	139
गैर अधिसूचित जिलें / Non Notified Districts	138
कुल जिलों में से अधिसूचित जिलें / Notified districts out of total districts	606/744

संलग्नक - यथोपरि

(प्रियरंजन सिन्हा)

उप निदेशक (योजना व विकास)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रधान निजी सचिव (महानिदेशक/वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त) को सूचनार्थ ।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप निदेशक (जन संपर्क शाखा) को मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।